भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 398

दिनांक 20.11.2019/ 29 कार्तिक, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर द्वारा असम में अवैध प्रवासियों की पहचान किया जाना

398. श्री दिग्विजय सिंहः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में, केन्द्र सरकार और असम सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के मार्गदर्शन में असम में अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार किया है; और

(ख) कितने अवैध प्रवासियों की पहचान की गई है और कितनों को निर्वासित किया गया है और यदि उन्हें निर्वासित नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरआईसी) को असम राज्य में, नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 4ए के अंतर्गत बनाई गई अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार अद्यतन किया जा रहा है।

भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरआईसी), असम का पूर्ण मसौदा दिनांक 30 जुलाई, 2018 को प्रकाशित किया गया था। दावों और आपत्तियों का निपटान होने के पश्चात, अंतिम भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरआईसी) दिनांक 31 अगस्त, 2019 को प्रकाशित किया गया है।

कोई भी व्यक्ति जो दावों और आपत्तियों के निर्णयों के परिणाम से संतुष्ट नहीं है, ऐसा आदेश जारी होने की तारीख से 120 दिनों की अवधि के भीतर, विदेशियों विषयक (अभिकरण) आदेश, 1964 के अंतर्गत गठित नामोदिष्ट विदेशियों विषयक अभिकरण के समक्ष अपील कर सकता है और अभिकरणों द्वारा अपील के निपटान के पश्चात, जैसा भी मामला हो, असम राज्य के एनआरआईसी में नामों को शामिल अथवा हटाया जाएगा।

निर्वासन का मामला विदेशियों विषयक अभिकरण द्वारा अपीलों के निपटान के पश्चात ही उठ सकता है। विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2)(ग) के अंतर्गत किसी अवैध प्रवासी को निर्वासित करने के लिए केंद्र सरकार में निहित शक्तियां, भारत के संविधान के अनुच्छेद 258(1) के तहत असम सरकार को सौंप दी गई हैं। इसलिए, यदि आवश्यक हो तो, असम सरकार किसी अवैध प्रवासी को उसकी नागरिकता सत्यापित करने के पश्चात निर्वासित करने में सक्षम है।

****